

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27620 वर्ष 2026**

निलेशआवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : जयसिंह यादव

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार वर्मा, जी.ए., मोना गौतम

न्यायालय संख्या- 65**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जयसिंह यादव और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री इमरान खान की बात सुनी।
2. यह आवेदन निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, धारा 87, 64(1), 351(3) बीएनएस के तहत, बसपुर पुलिस स्टेशन, जिला लालपुर में केस क्राइम नंबर 136/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आरोप के अनुसार आवेदक ने शिकायतकर्ता की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
4. उन्होंने आगे कहा कि यह स्वीकार किया जाता है कि पीड़िता बालिग लड़की है और बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज उसके बयान से स्पष्ट है कि वह स्वयं आरोपी के साथ गई थी और उससे शादी भी की थी। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि जब बीएनएसएस की धारा 183 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, तो उसने अपना पहले का बयान बदल दिया और कहा कि आरोपी की धमकी के तहत उसे उसके साथ जाना पड़ा और उसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया।
5. उन्होंने आगे कहा कि धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के पहले के बयान के आलोक में धारा 183 बीएनएसएस के तहत उसका बयान प्रथम दृष्टया झूठा प्रतीत होता है।
6. उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में पीड़िता और आवेदक दोनों के बीच संबंध थे और पीड़िता की सहमति से वह आवेदक के साथ गई थी, लेकिन बाद में उसके पिता ने वर्तमान मामले की एफआईआर दर्ज कराई और धारा 183 बीएनएसएस के तहत दिए गए उसके बयान में, उनके दबाव में आकर, उसने आवेदक के खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर दिया।
7. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 17.6.2026 से जेल में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

10. हालांकि, पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत अपने बयान में कहा कि आवेदक की धमकी के तहत वह उसके साथ गई थी और आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया था, लेकिन बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज किया गया उसका बयान बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज किए गए उसके पहले के बयान के विपरीत है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह स्वयं आवेदक के साथ गई थी और उसने पहले ही उससे शादी कर ली थी।

11. इसके अलावा, यह स्वीकार किया जाता है कि पीड़ित लगभग 19 वर्ष की एक वयस्क लड़की है।

12. इसके अलावा, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 17.6.2026 से जेल में है।

13. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

15. आवेदक- **निलेश** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14 अगस्त, 2026

अंकिता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Judgment. Not for Legal Use.